

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक: प. 1 (1) कार्मिक/क-4/2019


जयपुर, दिनांक: 12.09.2019

—: आज्ञा —

श्री वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत, प्रशासनिक सुधार एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली दिनांक 12 व 13 सितम्बर, 2019 को राज्य अतिथि के तौर पर जयपुर यात्रा पर पधार रहे हैं, यात्रा के दौरान उनके समन्वय एवं व्यवस्था संभालने हेतु श्री अशोक कुभार योगी, आर.ए.एस विशेषाधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (एन0एच0एम0) विभाग, राज0 जयपुर (मो0न0 9828699961) की सेवाएँ प्रोटोकाल अधिकारी के रूप में तुरंत प्रभाव से सौंपी जाती है।

श्री योगी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त यात्रा कार्यक्रम हेतु प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में अपनी उपस्थिति सूचना उप मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, राज. जयपुर को तुरंत प्रभाव से आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज0 जयपुर।
2. उप सचिव, मा0 मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
3. शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राज. जयपुर।
4. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, मा0 अतिरिक्त सचिव, (श्री वी. श्रीनिवास) कार्मिक, लोक शिकायत, प्रशासनिक सुधार एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष - कृपया संबंधित अधिकारी को कार्यक्रम समन्वय एवं व्यवस्था संभालने हेतु कार्यमुक्त कर उप मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, राज. जयपुर के कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।
7. संबंधित अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव